

पुस्तक,

श्री श्री ० महाकाव्य,
विशेष संस्करण,
उत्तर प्रदेश शासन ।

लेखक,

लेखक,
लेखक बोर्ड आर्य लेखनी संस्थान,
2/19, मन्त मिहार, जन्तारी रोड,
दरियाबाग, नई दिल्ली ।

विभाग: 1131 अनुभाग

तारीख: दिनांक: 14 मार्च, 1991

विषय: लेखक बोर्ड आर्य लेखनी संस्थान, मन्तारी रोड, मुसादाबाद को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में ।

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

सर्वोदय,

मुझे यह कहने का निश्चित पूरा है कि लेखक बोर्ड आर्य लेखनी संस्थान, मन्तारी रोड, मुसादाबाद को लेखक बोर्ड आर्य लेखनी संस्थान नई दिल्ली से सम्बन्धित प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को विभिन्न विधायकों/सदस्यों के अग्रिम अनापत्ति नहीं है ।:-

1. सामान्य प्रतिबन्ध

- 1- विभागाध्यक्ष की प्रबन्ध समिति में विभिन्न विभाग द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 2- विभागाध्यक्ष में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान महिला और पिछड़े वर्ग महिला वर्ग के सदस्यों के लिये सुरक्षित रहेंगे तथा उनके उत्तर प्रदेश शासन या राज्य सरकार द्वारा संरक्षित विभागाध्यक्ष में विभिन्न वर्गों के लिये निर्धारित स्थान से अधिक स्थान नहीं लिया जायेगा ।
- 3- संस्था को राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जायेगा ।
- 4- संस्था के सभी उपकरण/संसाधन/सुविधाएँ सुरक्षित होंगी । संस्था के विकास तथा विभिन्नतर कार्यकारिणी को राजकीय स्थापना प्रदान विभिन्न संस्थाओं के कार्यकारिणी को अनुसूचित क्षेत्रों तथा अन्य भागों से कम पैमाने पर एवं अन्य भती नहीं दिये जायेंगे ।
- 5- राज्य सरकार अथवा विभाग विभाग द्वारा को भी अनापत्ति किये जायेंगे उनका प्रमाण करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा ।
- 6- विभागाध्यक्ष में अनुसूचित तथा विभाग का स्तर उपर्युक्त का रक्षित जायेगा ।

100 विद्या प्रतिबन्ध

- 1- विद्यालय की प्रबन्ध समिति रजिस्टर्ड होनी तथा समय पर विधानानुसार उत्तरा करीबीकरण भी कराया जायेगा ।
- 2- विद्यालय में प्रवेश कक्षा व अनुमान के लिये उचित आकार के कक्षा कक्ष दो वैकल्पिक विद्या कक्ष, दो प्रयोगशाला कक्ष तथा पाठ पुस्तकालय कक्ष की व्यवस्था की जायेगी ।
- 3- कर्मचारियों को वेतन पूर्ण बनायी जायेगी और उन्हें तदावका प्राथम आर्थिक उन्नति माध्यमिक विद्यालय के कर्मचारियों को अनुमत्त वेतन निर्दिष्ट लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 4- विद्यालय का वेतन जोका निर्धारित पुस्तकों/संस्कारों में रखा जायेगा ।
उक्त बातों का पालन करना अनिवार्य होगा । किसी भी समय उक्त बातों में से किसी भी बात का उल्लंघन होने पर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमति पुनः प्राप्त करना आवश्यक है तथा जायेगा ।

भाषीय

श्री 0 येंडाका
विद्यालय ।

संख्या: /15-1131/91-4-1124/91 तारीख:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनायें एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा विभाग, अर विद्या भाग-2 अनुभाग, उमरा, जवाहरवाट ।
- 2- मन्त्रीय उच्च शिक्षा विभाग, मुरादाबाद ।
- 3- शिक्षा विभाग निरीक्षक, मुरादाबाद ।
- 4- निरीक्षक, अरिभ भारतीय विद्यालय, उमरा, तख्त ।
- 5- प्रबन्धक, सेंट मैरीस कॉन्वेंट स्कूल, मन्त्रीय, मुरादाबाद ।

आज्ञा है,

श्री 0 येंडाका
विद्यालय ।